

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अध्याय – 2 की

धारा-4 (1) ख (4)

मैनुअल संख्या – 4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया महाप्रबन्धक (एमडीओ), कार्यालय, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून पिन-248006 को डाक अथवा ई-मेल vivek.atreya@ujvnl.com पर सूचित करें।

मैनुअल-4

कार्यों के सम्पादन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

निगम द्वारा कार्यों के सम्पादन के लिए प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश, परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा बनाए गये सुस्पष्ट प्रक्रिया तथा मानक स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाता है।

निगम की विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संपादन हेतु विभिन्न मैनुअल जैसे क्रय नियमावली, भंडार नियमावली, कार्य स्थल अनुबन्ध नियमावली, लेखा नियमावली, मानव संसाधन नियमावली इत्यादि बनाने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रारम्भ किया गया है।